

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 241] No. 241] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, जनवरी 17, 2019/पौष 27, 1940

NEW DELHI, THURSDAY, JANUARY 17, 2019/PAUSHA 27, 1940

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 जनवरी, 2019

का.आ. 345(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण (सरंक्षण) अधिनियम,1986 की धारा 3 की उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (फ) के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की सं. का.आ.1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 द्वारा प्रकाशित पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना (इसके पश्चात् इसे ई.आइ.ए अधिसूचना कहा जाएगा) में, उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध सभी नई परियोजनाओं/क्रियाकलापों, यथास्थिति उनके विस्तार और आधुनिकीकरण और/या उत्पाद मिश्रण में परिवर्तन के लिए, परियोजना प्रबंधन द्वारा भूमि को सुरक्षित करने के सिवाय किसी संनिर्माण कार्य या भूमि तैयार करने से पहले संबंधित विनियमन प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण निर्वाधन की आवश्यकता को आज्ञापक बनाती है।

और 5(छ) के अधीन उक्त अधिसूचना की अनुसूची में सूचीबद्ध परियोजनाओं या क्रियाकलापों में डिस्टिलरी (शीरा और गैर शीरा आधारित) सम्मिलित है, और यथास्थिति विभिन्न राज्यों या संघ राज्य क्षेत्रों में मंत्रालय या राज्य पर्यावरण समघात निर्धारण प्राधिकरण से पूर्व पर्यावरण निर्बाधन की आवश्यकता है;

और, केन्द्र सरकार ने जैविक ईंधन पर राष्ट्र नीति, 2018 प्रकाशित की है जिसमें पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लैंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम को उसका मुख्य घटक के रूप में अनुबद्ध किया है, स्वदेशी और गैर-प्रदूषणकारी अक्षय ऊर्जा स्त्रोतों को प्रस्तावित किया है और कार्यक्रम का सफलता-पूर्वक परिपालन न सिर्फ वायु प्रदूषण को बहुत कम करने में किन्तु आयात प्रतिस्थापन द्वारा बहुमूल्य विदेशी मुद्रा भी बचाने में प्रभावी होगा।

और, पेट्रोल के साथ इथेनोल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन पेट्रोल के साथ ब्लेंड करने के उद्देश्य से बायो-इथेनॉल के विनिर्माण की परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय पर्यावरण निर्वाधन को आवश्यक मानता है;

357 GI/2019 (1)

और डिस्टिलरी से संबंधित पूर्व पर्यावरण निर्बाधन के मामलों में प्राप्त पर्याप्त अनुभव के आधार पर, पर्यावरण निर्बाधन देने की शर्तों मानकीकृत किया गया है;

और, जीरो लिक्किड डिस्चार्ज नियमों का पालन कर रही डिस्टिलरी एकक आस-पास के पर्यावरण के संबंध में उचित सुरक्षा प्रदान करें;

और, पर्याप्त पानी की उपलब्धता वाले क्षेत्र में जीरो लिक्किड डिस्चार्ज का पालन कर रहीं डिस्टिलरी को एक वर्ष के लिए पर्यावरण में प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उपर्युक्त स्थापित लक्ष्य को प्राप्त करने की दृष्टि से एक वर्ष के लिए विशेष छूट प्रदान की जा सकती है।

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (4) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1) और उपधारा (2) के खंड (फ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, लोक हित में उक्त नियमों के नियम 5 के उप नियम (3) के खंड (क) के अधीन नोटिस की आवश्यकताओं को पूरा करने के पश्चात्, अनन्य रूप से जैविक ईंधन के रूप में प्रयोग के लिए पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग के सीमित उद्देश्य के लिए इथेनॉल के उत्पादन में तेजी लाने के लिए विशेष प्रावधान बनाती है, अर्थात:-

- "(1) चीनी उत्पादन या डिस्टिलरी की सभी विस्तारित परियोजनाएं, जो पेट्रोल के साथ इथेनॉल ब्लेंडिंग (ईबीपी) कार्यक्रम के अधीन उनके वर्तमान औद्योगिक परिचालन और पेट्रोल के साथ ब्लेंडिंग करने के लिए आशयित इथेनॉल उत्पादन करने के लिए पर्यावरण निर्बाधन रखती है, पर्यावरण प्रबंधन योजना, भारत सरकार, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के प्रमाण-पत्र के साथ ईआईए अधिसूचना, 2006 के अनुबध-1 में दिए गए प्ररूप-1 में यह बताते हुए एक आवेदन करेगी कि, यह प्रस्ताव पेट्रोल के साथ बायो-इथेनॉल ब्लेंडिंग के प्रयोजन के लिए ईआईए अधिसूचना, 2006 के प्रावधानों के अधीन पर्यावरण निर्बाधन प्राप्त करने हेतु है और ऐसे सभी आवेदनों पर संबंधित क्षेत्रीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति और राज्य विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति द्वारा विचार किया जाएगा, जो पानी की पर्याप्त उपलब्धता और डिस्टिलरी से संबंधित मानक शर्तों के पालन के विषय में केन्द्रीय भू जलबोर्ड के प्रमाण-पत्र पर आधारित, ईआईए अधिसूचना, 2006 में विनिर्दिष्ट वर्ग बी 2 को लागू प्रक्रिया अनुसार प्रस्ताव का मूल्यांकन करेगी (अनुबंध)।
- (2) विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति इस अधिसूचना के अनुबंध में दी गई मानक पर्यावरण निर्बाधन की शर्तों के अतिरिक्त अलग अलग मामलों के अनुसार विशिष्ट शर्तें निर्धारित कर सकेगी।"

यह अधिसूचना, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रवृत्त रहेगी।

[फा. सं. आईए-जे-11013/55/2017-आईए. $\mathrm{II}(\mathrm{I})$]

गीता मेनन, संयुक्त सचिव

<u>परिशिष्ट</u>

<u>पर्यावरण स्वीकृति की मानक शर्तें</u>

सांविधिक शर्तें

- i. परियोजना में वनेतर प्रयोजन हेतु वन भूमि के अपवर्तन के संलिप्त होने के मामले में, परियोजना प्रस्तावक द्वारा वन संरक्षण (अधिनियम), 1986 के उपबंधों के अंतर्गत वन स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड से, यदि लागू हो, स्वीकृति प्राप्त की जाएगी।
- iii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा एक स्थल-विशिष्ट संरक्षण योजना एवं वन्यजीव प्रबंधन योजना तैयार की जाएगी जो मुख्य वन्यजीव वार्डन द्वारा अनुमोदित होगा। अनुमोदित स्थल-विशिष्ट संरक्षण योजना/वन्यजीव प्रबंधन योजना की सिफारिशें राज्य वन विभाग के परामर्श से कार्यान्वित की जाएगी।

- कार्यान्वयन रिपोर्ट, छमाही अनुपालन रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत की जाएगी (अध्ययन क्षेत्र में अनुसूची-I की प्रजातियों की उपस्थिति के मामले में)।
- iv. परियोजना प्रस्तावक द्वारा संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/सिमिति से वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 और जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के उपबंधों के अंतर्गत स्थापना/प्रचालन की अनुमति प्राप्त की जाएगी।
- v. परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित खतरनाक और अन्य अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अंतर्गत प्राधिकार प्राप्त किया जाएगा।
- vi. कंपनी द्वारा समय-समय पर यथा संशोधित परिसंकटमय रसायन का उत्पादन, भंडारण और आयात (एमएसआइएचसी) नियम, 1989 के अंतर्गत नियमों तथा दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाएगा। खतरनाक रसायनों का सभी परिवहन कार्यकलाप मोटर वाहन अधिनियम (एमवीए), 1989 के अनुसार किया जाएगा।

II. वायु गुणवत्ता निगरानी और परिरक्षण

- ं। परियोजना प्रस्तावक द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 में निर्धारित मानकों के संदर्भ में स्टैक उत्सर्जन की निगरानी के लिए प्रक्रिया स्टैकों में 24x7 निरंतर उत्सर्जन निगरानी प्रणाली संस्थापित की जाएगी और यह राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ऑन लाइन सर्वरों से जुड़ी होगी तथा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अंतर्गत मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं अथवा एनएबीएल से प्रत्यायोजित प्रयोगशालाओं के माध्यम से उपकरण आपूर्तिकर्ता की विशिष्टियों के अनुसार इन प्रणालियों को कैलीब्रेट करेगी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक संयंत्र क्षेत्र के अन्दर और बाहर कम से कम चार स्थानों पर (प्रत्येक 120º के कोण पर एक संयंत्र क्षेत्र के अन्दर और तीन बाहर), पवन की ओर तथा पवन के विपरीत दिशाओं को शामिल करके (मामला-दर-मामला आधार पर : हस्तचालित; बड़े संयंत्र : निरंतर) उत्सर्जित होने वाले मुख्य प्रदूषकों (अर्थात् पीएम उत्सर्जन के संदर्भ में पीएम10 तथा पीएम2.5, और एसओ2 एवं एनओ x उत्सर्जनों के संदर्भ में) से संबंधित सामान्य/मानदंड के पैरामीटरों को परिवेशी वायु गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रणाली संस्थापित करेगा।
- iii. परियोजना प्रस्तावक निरंतर स्टैक उत्सर्जन तथा वायु गुणवत्ता निगरानी की मासिक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और वायु गुणवत्ता/अस्थायी उत्सर्जनों की हस्तचालित स्टैक निगरानी और हस्तचालित निगरानी के परिणामों को छमाही निगरानी रिपोर्ट के साथ पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालय, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंचलिक कार्यालय और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा।
- iv. सभी प्रवण क्षेत्रों से धूल सहित धूल उत्पन्न करने वाले सभी स्थानों के लिए समुचित वायु प्रदूषण नियंत्रण (एपीसी) प्रणाली उपलब्ध कराई जाएगी ताकि निर्धारित स्टैक उत्सर्जन और अस्थायी उत्सर्जन मानकों का अनुपालन हो सके।
- v. मंत्रालय द्वारा सा.का.नि.सं. 826 (अ) दिनांक 16 नवम्बर, 2009 के द्वारा जारी किए राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता उत्सर्जन मानकों का अनुपालन किया जाएगा।

- vi. विविक्त उत्सर्जनों को अनुमेय सीमाओं (यथा प्रयोज्य) नियंत्रित करने के लिए कोयला चालित बॉयलरों में प्रयोग हेतु कोयले में सल्फर का अंश 0.5% से अधिक नहीं होना चाहिए। गैसीय उत्सर्जनों को केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के दिशानिर्देशों के अनुसार पर्याप्त ऊंचाई के स्टैक के माध्यम से विक्षेपित किया जाएगा।
- vii. डीजी सैटों को उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण यंत्रों तथा पर्याप्त स्टैक ऊंचाई से युक्त किया जाएगा ताकि इनसे होने वाला उत्सर्जन वर्तमान विनियमों तथा इस संबंध में दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
- viii. कच्ची सामग्रियों, कोयले इत्यादि का भंडारण मिट्टी अथवा ढंके क्षेत्रों में किया जाएगा ताकि धूल से होने वाले प्रदूषण और अन्य अस्थायी उत्सर्जनों को रोका जा सके।

III. जल गुणवत्ता की निगरानी और परिरक्षण

- i. बिहस्राव की ऑनलाइन निरंतर निगरानी के लिए, इकाई द्वारा पिरसरों के अंदर बिहस्राव प्रवाहित करने वाले चैनलों/नालों में रात्रि दृश्यता क्षमता वाला वेब कैमरा लगाया जाएगा (जेडएलडी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के मामले में लागू) और इसे एसपीसीबी एवं सीपीसीबी के सर्वरों से जोड़ा जाएगा।
- ii. शून्य तरल निस्सारण सुनिश्चित किया जाएगा और परिसर के बाहर कोई अपशिष्ट/शोधित जल प्रवाहित नहीं किया जाएगा (जेडएलडी प्राप्त करने वाली परियोजनाओं के मामले में लागू)
- iii. प्रक्रिया बहिस्राव/किसी अपशिष्ट जल को र्स्टाम जल से नहीं मिलने दिया जाएगा। परिसर से स्टार्म जल को एकत्रित किया जाएगा और एक पृथक परिवहन प्रणाली के माध्यम से निस्तारित किया जाएगा।
- iv. वायु/जल अधिनियम के तहत अनुमित प्रदान करते समय, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों अथवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा यथा विनिर्दिष्ट मानकों, जो भी अधिक कड़े हों, के अनुसार बिह:स्नावों का निस्सारण किया जाएगा।
- v. समस्त ताजे जल की आवश्यकता, प्रस्तावित मात्रा अथवा समिति द्वारा यथा निर्धारित मात्रा से अधिक नहीं होगी। इस संबंध में संबंधित विनियामक प्राधिकरण/सीजीडब्ल्यूए से पूर्वानुमति प्राप्त की जाएगी।
- vi. औद्योगिक/व्यापार बिह:स्नाव को उच्च सीओडी/टीडीएस और निम्न सीओडी/टीडीएस बिह:स्नाव धाराओं में पृथक्कृत किया जाएगा। उच्च टीडीएस/सीओडी को स्ट्रिपर के बाद एमईई और एटीएफडी (एजिटेटिड थिन फिल्म ड्रायर) की प्रक्रिया से गुजारा जाएगा। निम्न टीडीएस धारा को ईटीपी में शोधित किया जाएगा और उसके बाद आरई प्रणाली से गुजारा जाएगा।
- vii. कम्पनी, भू-जल पुनर्भरण के लिए भवनों के रूफ टॉप और बरसाती पानी के नालों से वर्षा जल संचयन करेगी तथा संयंत्र के अंदर ही विभिन्न औद्योगिक प्रचालनों के लिए इसका उपयोग करेगी।

IV. ध्वनि निगरानी और निवारण

- i. ध्विन प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए डीजी सेट में एकोस्टिक एनक्लोसर लगाए जाएंगे।
- ii. संयंत्र क्षेत्र में और उसके आस-पास समस्त ध्वनि स्तरों को, ध्वनि उत्सर्जन के सभी स्रोतों पर एरोस्टिक हूड, साइलेन्सर, एन्क्लोज़र आदि सहित ध्वनि नियंत्रण यंत्र लगाकर मानकों के अंदर भली-भांति रखा जाएगा।
- iii. परिवेशी ध्विन स्तर, ई(पी)ए नियम, 1986 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मानकों अर्थात दिन के समय 75 dB(A) और रात के समय 70 dB(A) होने चाहिए।

V. ऊर्जा संरक्षण उपाय

i. प्रकाश-व्यवस्था प्रयोजनों हेतु ऊर्जा के स्रोत, अधिमानत: एलईडी आधारित होंगे।

VI. अपशिष्ट प्रबंधन

- ं. खतरनाक रसायनों को टैंक, टैंक फार्म, ड्रम, कारबॉय आदि में रखा जाएगा। पम्प के माध्यम से टैंक फार्म और साल्वेंट ट्रांसफर पर फ्लेम अरेस्टर लगाए जाएंगे।
- ii. प्रसंस्करण उपरांत जैविक अवशिष्ट और स्पेंट कार्बन, यदि कोई हो, को सीमेंट उद्योगों में भेजा जाएगा। ईटीपी स्लज, प्रसंस्करण से उत्पन्न अजैविक और वाष्पीकरण नमक का टीएसडीएफ में निपटान किया जाएगा।
- iii. कम्पनी, अपशिष्ट न्यूनीकरण उपाय निम्नानुसार करेगी :-
 - क. अपशिष्ट के न्यूनीकरण हेत् सक्रिय संघटकों की मात्राओं का मापन और नियंत्रण।
 - ख. प्रसंस्करण से प्राप्त लघु-उत्पादों का, अन्य प्रक्रियाओं में कच्ची सामग्रियों अथवा कच्ची सामग्रियों के प्रतिस्थापनों के तौर पर पुनर्उपयोगः
 - ग. छलकाव को न्यूनतम करने के लिए स्वचालित भराई का उपयोग।
 - घ. बैच रिएक्टरों में क्लोज फीड सिस्टम का उपयोग।
 - ङ. वाष्प पुनर्प्राप्ति प्रणाली के माध्यम से निकासी उपकरण।
 - च. अपशिष्ट जल उत्सर्जन को कम करने के लिए उपकरण की सफाई हेतु उच्च दबाव की नलियों का उपयोग।

VII. हरित पट्टी

सीपीसीबी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसरण में देशज वृक्ष प्रजातियों के साथ संयंत्र क्षेत्र के 33% भाग
के समान क्षेत्र में हरित पट्टी विकसित की जाएगी। इस हरित पट्टी में, अन्य के साथ-साथ, संयंत्र की समस्त
परिधि शामिल होगी।

VIII. सुरक्षा, जन सुनवाई और मानव स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे

- i. खतरे की पहचान और जोखिम आकलन (एचआईआरए) और आपदा प्रबंधन योजना के आधार पर आपातकालीन तत्परता योजना क्रियान्वित की जाएगी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक, कारखाना अधिनियम के मानदण्डों के अनुसार व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण (पीपीई) उपलब्ध कराएंगे।
- iii. रसायन हथालन से सुरक्षा और संबंधित स्वास्थ्य पहलुओं के बारे में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। सभी कर्मचारियों की नियमित आधार पर पूर्व-रोज़गार और नेमी आवधिक चिकित्सा जांच कराई जाएगी। रसायनों के हथालन के बारे में सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।
- iv. सभी आवश्यक अवसंरचना और सुविधाओं, जैसे कि खाना पकाने के ईंधन, मोबाइल टॉयलेट, मोबाइल एसटीपी, सुरक्षित पेयजल, चिकित्सा स्वास्थ्य देखभाल, क्रेच आदि से युक्त स्थल के अंदर ही निर्माण कार्य में लगे मज़दूरों के लिए आवास की व्यवस्था की जाएगी। यह आवास-व्यवस्था, अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है जिसे परियोजना पूर्ण होने के बाद हटा दिया जाएगा।
- v. कामगारों की व्यावसायिक स्वास्थ्य की निगरानी, नियमित आधार पर की जाएगी और कारखाना अधिनियम के अनुसार अभिलेखों का रखरखाव किया जाएगा

vi. कच्चे माल और तैयार उत्पादों की ढुलाई करने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए संयंत्र परिसरों के अंदर पर्याप्त स्थान निर्धारित किया जाएगा तथा सार्वजनिक स्थलों पर बाहर पार्किंग की अनुमति नहीं दी जाएगी।

IX. कारपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व

- i. परियोजना प्रस्तावक, कारपोरेट पर्यावरण उत्तरदायित्व के संबंध में इस मंत्रालय के का.ज्ञा. फा. सं. 22-56/2017-आइए-III दिनांक 1 मई, 2018 में अन्तर्विष्ट उपबंधों का, यथा प्रयोज्य, अनुपालन करेगा।
- ii. कम्पनी की, निदेशक मंडल द्वारा उचित रूप से अनुमोदित एक सुनिर्धारित पर्यावरणीय नीति होगी। पर्यावरणीय नीति में उचित रोकथाम और संतुलन बनाए रखने तथा पर्यावरणीय/वन/वन्यजीव मापदण्डों/शर्तों के किसी अतिक्रमण/विपथन/उल्लंघन पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए मानक प्रचालन क्रियाविधियों को विहित किया जाना चाहिए। कम्पनी की पर्यावरणीय /वन संबंधी /वन्यजीव संबंधी मानकों/शर्तों और/या शेयर धारकों/हितधारकों के अतिक्रमण/विपथन/उल्लंघन की सूचना देने की सुपरिभाषित व्यवस्था होनी चाहिए। इस संबंध में बोर्ड संकल्प की प्रति पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को छमाही रिपोर्ट के भाग के रूप में भेजी जाएगी।
- iii. परियोजना और कम्पनी मुख्यालय, दोनों के स्तर पर वरिष्ठ अधिकारी जो सीधे संगठन के प्रमुख को सूचित करेगा कि नियंत्रण के अधीन एक अलग पर्यावरणीय प्रकोष्ठ स्थापित किया जाएगा जिसमें अर्हता प्राप्त कर्मचारी हो।
- iv. कम्पनी की उत्तरदायित्व योजना सहित ईएमपी और पर्यावरणीय शर्तों के कार्यान्वयन की कार्य योजना तैयार की जाएगी और उसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। पर्यावरणीय संरक्षण उपायों के लिए निर्धारित वर्षवार निधियों को अलग खाते में रखा जाएगा और उसे किसी अन्य प्रयोजन के लिए अपवर्तित नहीं किया जाएगा। कार्य योजना के कार्यान्वयन की वर्षवार प्रगति की रिपोर्ट, छमाही अनुपालन रिपोर्ट सहित मंत्रालय/क्षेत्रीय कार्यालय को भेजी जाएगी।
- v. प्रतिवर्ष स्वयं-पर्यावरणीय लेखापरीक्षा की जाएगी। प्रति तीन वर्ष के पश्चात तृतीय पक्षकार से पर्यावरणीय लेखापरीक्षा कराई जाएगी।

X. प्रकीर्ण

- ं। परियोजना प्रस्तावक सात दिन के भीतर जिले या राज्य के दो स्थानीय समाचार पत्रों में अपने खर्चे पर प्रमुख रूप से इसका विज्ञापन देकर जिनमें से एक देशीय भाषा में होगा, पर्यावरणीय शर्तों और सुरक्षापायों सिहत अपनी परियोजना के लिए प्रदत्त पर्यावरणीय स्वीकृति की सार्वजनिक रूप से सूचना देगा और इसके साथ-साथ इसे परियोजना प्रस्तावक की वेबसाइट पर स्थाई रूप से प्रदर्शित किया जाएगा।
- णिरयोजना प्रस्तावकों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रतियां मंत्रालय के संबंधित कार्यालयों के साथ-साथ
 स्थानीय निकायों, पंचायतों और नगरीय निकायों के प्रमुखों को प्रस्तुत की जाएगी और उन्हें इसे प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन तक इसे प्रदर्शित करना है।
- iii. परियोजना प्रस्तावक पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित शर्तों के अनुपालन की स्थिति, निगरानी किये गए आंकड़ों के परिणाम सहित अपनी वेबसाइट पर अपलोड करेगा और उसे छमाही आधार पर अद्यतित करेगा।
- iv. परियोजना प्रस्तावक परियोजनाओं के लिए संकेतित मानदण्ड प्रदूषक स्तर नामतः; PM₁₀, SO₂, NO_x (परिवेशी स्तरों और समूह उत्सर्जनों संबंधी) या अति गंभीर सेक्टोरल मापदण्ड की निगरानी करेगा और उसे आम जनता की जानकारी के लिए एक सुविधाजनक स्थान पर प्रदर्शित करेगा और कम्पनी की वेबसाइट पर प्रस्तुत करेगा।

- v. परियोजना प्रस्तावक, निर्धारित पर्यावरणीय शर्तों के अनुपालन की स्थिति के संबंध में छमाही रिपोर्ट पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की वेबसाइट पर पर्यावरणीय स्वीकृति के पोर्टल पर प्रस्तुत करेगा।
- vi. परियोजना प्रस्तावक प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए पर्यावरणीय विवरण पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के अधीन यथा विहित तथा बाद में यथा संशोधित रूप में प्रपत्र-V में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को प्रस्तुत करेगा और कंपनी की वेबसाइट पर डालेगा।
- vii. परियोजना प्रस्तावक, भूमि के विकास कार्य की शुरूआत और परियोजना द्वारा उत्पादन कार्य की शुरूआत से लेकर वित्तीय परिसमापन और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा परियोजना के अंतिम अनुमोदन की तारीख की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय और मंत्रालय को भी देगा।
- viii. परियोजना प्रस्तावक को राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राज्य सरकार द्वारा लगाई शर्तों का कड़ाई से पालन करना होगा।
- ix. परियोजना प्रस्तावक ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट, में की गई प्रतिबद्धताओं और सिफारिशों, जन सुनवाई के दौरान और विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (ईएसी) के समक्ष दिए गए प्रस्तुतिकरण के दौरान दिए गए सभी वचनों का पालन करेगा।
- x. पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की पूर्व स्वीकृति के बिना संयंत्र में और कोई विस्तार या सुधार नहीं किए जाएंगे।
- xi. तथ्यात्मक आंकड़ों को छुपाने या झूठे/बनावटी आंकड़े प्रस्तुत करने पर इस पर्यावरणीय स्वीकृति को रद्द किया जा सकता है और पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जा सकती है।
- xii. यदि उपर्युक्त शर्तों में से किसी का भी कार्यान्वयन संतोषजनक नहीं होता है तो मंत्रालय स्वीकृति को रद्द या निलम्बित कर सकता है।
- xiii. यदि आवश्यक पाया गया, तो मंत्रालय अतिरिक्त शर्तें निर्धारित करने का अधिकार सुरक्षित रखता है। कंपनी समयबद्ध रीति से इन शर्तों को क्रियान्वित करेगी।
- xiv. इस मंत्रालय का क्षेत्रीय कार्यालय निर्धारित शर्तों के अनुपालन की निगरानी करेगा। परियोजना के प्राधिकारीगण को चाहिए कि वे अपेक्षित आंकड़ों/जानकारी/निगरानी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए क्षेत्रीय कार्यालय के अधिकारी को पूरा सहयोग दें।
- xv. उपर्युक्त शर्तों को, जल (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण का निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 खतरनाक तथा अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन तथा सीमा पार संचलन) नियम, 2016 और लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991, उनके संशोधनों और नियमों तथा भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय/उच्च न्यायालयों तथा विषय वस्तु से संबंधित किसी अन्य विधि न्यायालय द्वारा पारित किन्ही अन्य आदेशों के प्रावधानों सहित लागू किया जाएगा।
- xvi. इस ईसी के विरुद्ध अपील यदि कोई हो, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 की धारा 16 के अधीन यथा विहित, 30 दिन की अवधि के भीतर, राष्ट्रीय हरित अधिकरण को की जाएगी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE NOTIFICATION

New Delhi, the 17th January, 2019

S.O. 345(E).—WHEREAS, the Central Government in the erstwhile Ministry of Environment and Forests, in exercise of its powers under sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section (3) of the Environment (Protection) Act, 1986 has published the Environment Impact Assessment Notification, 2006 (hereinafter referred to as the EIA Notification) vide S.O.1533(E), dated the 14th September, 2006, making the requirement of prior environmental clearance from the concerned regulatory authority mandatory for all new projects/activities listed in the schedule to the said notification, their expansion and modernization and/or change in product mix, as the case may be, before any construction work or preparation of land by the project management except for securing the land;

AND WHEREAS, the projects/activities listed in the schedule to the said notification include distilleries (molasses and non-molasses based) under item 5(g), and thus requiring prior environmental clearance from the Ministry or the State Environment Impact Assessment Authorities in different States/Union Territory, as the case may be;

AND WHEREAS, the Central Government has published the National Policy on Bio-fuels, 2018 stipulating Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme as its main component, offering indigenous and non-polluting renewable energy source and successful implementation of the programme would not only result in substantial reduction in air pollution but also saving of precious foreign exchange through import substitutions;

AND WHEREAS, the Ministry of Environment, Forest and Climate Change deems it necessary for expediting environmental clearances to the projects for manufacturing of bio-ethanol for the purpose of blending with the petrol under the Ethanol Blended with Petrol (EBP) Programme;

AND WHEREAS, based on substantial experience gained in matters relating to prior environmental clearance related to distilleries, conditions of grant of environmental clearance have been standardized;

AND WHEREAS, distillery units adhering to Zero Liquid Discharge norms provide reasonable safeguard with respect to ambient environment;

AND WHEREAS, distilleries adhering to Zero Liquid Discharge in areas with adequate water availability can be provided special dispensation for a year with view to achieving objective set as above without adverse environmental impact for a year;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (v) of sub-section (2) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (4) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government, after having dispensed with the requirement of notice under clause (a) of sub-rule (3) of the rule 5 of the said rules in public interest, for expediting production of Ethanol for its limited purpose of blending with petrol exclusively for its usage as bio-fuel, hereby makes thefollowing special provision, namely:-

- "(1) All expansion projects of sugar manufacturing or distilleries, having environmental clearances for their present industrial operations and intended to produce Ethanol for blending with petrol under the Ethanol Blended with Petrol (EBP)Programme, shall make an application in Form-1 given in Appendix-I of the EIA Notification, 2006 along with the Environmental Management Plan, certificate from the Government of India, the Ministry of Petroleum and Natural Gas stating that the proposal is for the purpose ofblending the bio-ethanol with the petrol, for grant of environmental clearance under the provisions of the EIA Notification, 2006, and all such applications shall be considered by the concerned sectoral Expert Appraisal Committee or State Expert Appraisal Committee, who shall appraise the proposal as per the procedure applicable to category B2 projects specified in the EIA Notification, 2006 based on certificate from the Central Ground Water Board regarding adequate availability of water and adherence to standard conditions related to distilleries (appendix).
- (2) The Expert Appraisal Committee may prescribe, in addition to the standard environmental clearance conditions given in the appendix to this notification, the specific conditions on case to case basis."

This notification shall remain in force for a period of one year from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F.No. IA-J-11013/55/2017-IA.II(I)]

GEETA MENON, Jt. Secy.

APPENDIX

Standard EC Conditions

I. Statutory compliance

- i. The project proponent shall obtain forest clearance under the provisions of Forest (Conservation) Act, 1986, in case of the diversion of forest land for non-forest purpose involved in the project.
- ii. The project proponent shall obtain clearance from the National Board for Wildlife, if applicable.
- iii. The project proponent shall prepare a Site-Specific Conservation Plan & Wildlife Management Plan and approved by the Chief Wildlife Warden. The recommendations of the approved Site-Specific Conservation Plan / Wildlife Management Plan shall be implemented in consultation with the State Forest Department. The implementation report shall be furnished along with the six-monthly compliance report. (incase of the presence of schedule-I species in the study area)
- iv. The project proponent shall obtain Consent to Establish / Operate under the provisions of Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981 and the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974 from the concerned State pollution Control Board/ Committee.
- v. The project proponent shall obtain authorization under the Hazardous and other Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.
- vi. The Company shall strictly comply with the rules and guidelines under Manufacture, Storage and Import of Hazardous Chemicals (MSIHC) Rules, 1989 as amended time to time. All transportation of Hazardous Chemicals shall be as per the Motor Vehicle Act (MVA), 1989

II. Air quality monitoring and preservation

- i. The project proponent shall install 24×7 continuous emission monitoring system at process stacks to monitor stack emission with respect to standards prescribed in Environment (Protection) Rules 1986 and connected to SPCB and CPCB online servers and calibrate these system from time to time according to equipment supplier specification through labs recognised under Environment (Protection) Act, 1986 or NABL accredited laboratories.
- ii. The project proponent shall install system carryout to Ambient Air Quality monitoring for common/criterion parameters relevant to the main pollutants released (e.g. PM_{10} and $PM_{2.5}$ in reference to PM emission, and SO_2 and NOx in reference to SO_2 and NOx emissions) within and outside the plant area at least at four locations (one within and three outside the plant area at an angle of 120° each), covering upwind and downwind directions. (case to case basis small plants: Manual; Large plants: Continuous)
- iii. The project proponent shall submit monthly summary report of continuous stack emission and air quality monitoring and results of manual stack monitoring and manual monitoring of air quality /fugitive emissions to Regional Office of MoEF&CC, Zonal office of CPCB and Regional Office of SPCB along with six-monthly monitoring report.
- iv. Appropriate Air Pollution Control (APC) system shall be provided for all the dust generating points including fugitive dust from all vulnerable sources, so as to comply prescribed stack emission and fugitive emission standards.
- v. The National Ambient Air Quality Emission Standards issued by the Ministry vide G.S.R. No. 826(E) dated 16th November, 2009 shall be complied with.
- vi. Sulphur content should not exceed 0.5% in the coal for use in coal fired boilers to control particulate emissions within permissible limits (as applicable). The gaseous emissions shall be dispersed through stack of adequate height as per CPCB/SPCB guidelines.
- vii. The DG sets shall be equipped with suitable pollution control devices and the adequate stack height so that the emissions are in conformity with the extant regulations and the guidelines in this regard.
- viii. Storage of raw materials, coal etc shall be either stored in silos or in covered areas to prevent dust pollution and other fugitive emissions.

III. Water quality monitoring and preservation

i. For online continuous monitoring of effluent, the unit shall install web camera with night vision capability and flow meters in the channel/drain carrying effluent within the premises (applicable in case of the projects achieving ZLD) and connected to SPCB and CPCB online servers.

- ii. Zero Liquid Discharge shall be ensured and no waste/treated water shall be discharged outside the premises (applicable in case of the projects achieving the ZLD).
- iii. Process effluent/any wastewater shall not be allowed to mix with storm water. The storm water from the premises shall be collected and discharged through a separate conveyance system.
- iv. The effluent discharge shall conform to the standards prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, or as specified by the State Pollution Control Board while granting Consent under the Air/Water Act, whichever is more stringent.
- v. Total fresh water requirement shall not exceed the proposed quantity or as specified by the Committee. Prior permission shall be obtained from the concerned regulatory authority/CGWA in this regard.
- vi. Industrial/trade effluent shall be segregated into High COD/TDS and Low COD/TDS effluent streams. High TDS/COD shall be passed through stripper followed by MEE and ATFD (agitated thin film drier). Low TDS effluent stream shall be treated in ETP and then passed through RO system.
- vii. The Company shall harvest rainwater from the roof tops of the buildings and storm water drains to recharge the ground water and utilize the same for different industrial operations within the plant.

IV. Noise monitoring and prevention

- i. Acoustic enclosure shall be provided to DG set for controlling the noise pollution.
- ii. The overall noise levels in and around the plant area shall be kept well within the standards by providing noise control measures including acoustic hoods, silencers, enclosures etc. on all sources of noise generation.
- iii. The ambient noise levels should conform to the standards prescribed under E(P)A Rules, 1986 viz. 75 dB(A) during day time and 70 dB(A) during night time

V. Energy Conservation measures

i. The energy sources for lighting purposes shall preferably be LED based.

VI. Waste management

- i. Hazardous chemicals shall be stored in tanks, tank farms, drums, carboys etc. Flame arresters shall be provided on tank farm and the solvent transfer through pumps.
- ii. Process organic residue and spent carbon, if any, shall be sent to cement industries. ETP sludge, process inorganic & evaporation salt shall be disposed off to the TSDF.
- iii. The company shall undertake waste minimization measures as below:
 - a. Metering and control of quantities of active ingredients to minimize waste.
 - b. Reuse of by-products from the process as raw materials or as raw material substitutes in other processes.
 - Use of automated filling to minimize spillage.
 - d. Use of Close Feed system into batch reactors.
 - e. Venting equipment through vapour recovery system.
 - f. Use of high pressure hoses for equipment clearing to reduce wastewater generation

VII. Green Belt

i. Green belt shall be developed in an area equal to 33% of the plant area with a native tree species in accordance with CPCB guidelines. The greenbelt shall inter alia cover the entire periphery of the plant

VIII. Safety, Public hearing and Human health issues

- i. Emergency preparedness plan based on the Hazard identification and Risk Assessment (HIRA) and Disaster Management Plan shall be implemented.
- ii. The PP shall provide Personal Protection Equipment (PPE) as per the norms of Factory Act.
- iii. Training shall be imparted to all employees on safety and health aspects of chemicals handling. Preemployment and routine periodical medical examinations for all employees shall be undertaken on regular basis. Training to all employees on handling of chemicals shall be imparted.

- iv. Provision shall be made for the housing of construction labour within the site with all necessary infrastructure and facilities such as fuel for cooking, mobile toilets, mobile STP, safe drinking water, medical health care, crèche etc. The housing may be in the form of temporary structures to be removed after the completion of the project.
- v. Occupational health surveillance of the workers shall be done on a regular basis and records maintained as per the Factories Act.
- vi. There shall be adequate space inside the plant premises earmarked for parking of vehicles for raw materials and finished products, and no parking to be allowed outside on public places

IX. Corporate Environment Responsibility

- The project proponent shall comply with the provisions contained in this Ministry's OM vide F.No. 22-65/2017-IA.III dated 1st May 2018, as applicable, regarding Corporate Environment Responsibility.
- ii. The company shall have a well laid down environmental policy duly approve by the Board of Directors. The environmental policy should prescribe for standard operating procedures to have proper checks and balances and to bring into focus any infringements/deviation/violation of the environmental / forest /wildlife norms/ conditions. The company shall have defined system of reporting infringements / deviation / violation of the environmental / forest / wildlife norms / conditions and / or shareholders / stake holders. The copy of the board resolution in this regard shall be submitted to the MoEF&CC as a part of six-monthly report.
- iii. A separate Environmental Cell both at the project and company head quarter level, with qualified personnel shall be set up under the control of senior Executive, who will directly to the head of the organization.
- iv. Action plan for implementing EMP and environmental conditions along with responsibility matrix of the company shall be prepared and shall be duly approved by competent authority. The year wise funds earmarked for environmental protection measures shall be kept in separate account and not to be diverted for any other purpose. Year wise progress of implementation of action plan shall be reported to the Ministry/Regional Office along with the Six Monthly Compliance Report.
- v. Self environmental audit shall be conducted annually. Every three years third party environmental audit shall be carried out.

X. Miscellaneous

- i. The project proponent shall make public the environmental clearance granted for their project along with the environmental conditions and safeguards at their cost by prominently advertising it at least in two local newspapers of the District or State, of which one shall be in the vernacular language within seven days and in addition this shall also be displayed in the project proponent's website permanently.
- ii. The copies of the environmental clearance shall be submitted by the project proponents to the Heads of local bodies, Panchayats and Municipal Bodies in addition to the relevant offices of the Government who in turn has to display the same for 30 days from the date of receipt.
- iii. The project proponent shall upload the status of compliance of the stipulated environment clearance conditions, including results of monitored data on their website and update the same on half-yearly basis.
- iv. The project proponent shall monitor the criteria pollutants level namely; PM_{10} , SO_2 , NOx (ambient levels as well as stack emissions) or critical sectoral parameters, indicated for the projects and display the same at a convenient location for disclosure to the public and put on the website of the company.
- v. The project proponent shall submit six-monthly reports on the status of the compliance of the stipulated environmental conditions on the website of the ministry of Environment, Forest and Climate Change at environment clearance portal.
- vi. The project proponent shall submit the environmental statement for each financial year in Form-V to the concerned State Pollution Control Board as prescribed under the Environment (Protection) Rules, 1986, as amended subsequently and put on the website of the company.
- vii. The project proponent shall inform the Regional Office as well as the Ministry, the date of financial closure and final approval of the project by the concerned authorities, commencing the land development work and start of production operation by the project.
- viii. The project authorities must strictly adhere to the stipulations made by the State Pollution Control Board and the State Government.

- ix. The project proponent shall abide by all the commitments and recommendations made in the EIA/EMP report, commitment made during Public Hearing and also that during their presentation to the Expert Appraisal Committee.
- x. No further expansion or modifications in the plant shall be carried out without prior approval of the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (MoEF&CC).
- xi. Concealing factual data or submission of false/fabricated data may result in revocation of this environmental clearance and attract action under the provisions of Environment (Protection) Act, 1986.
- xii. The Ministry may revoke or suspend the clearance, if implementation of any of the above conditions is not satisfactory.
- xiii. The Ministry reserves the right to stipulate additional conditions if found necessary. The Company in a time bound manner shall implement these conditions.
- xiv. The Regional Office of this Ministry shall monitor compliance of the stipulated conditions. The project authorities should extend full cooperation to the officer (s) of the Regional Office by furnishing the requisite data / information/monitoring reports.
- xv. The above conditions shall be enforced, inter-alia under the provisions of the Water (Prevention & Control of Pollution) Act, 1974, the Air (Prevention & Control of Pollution) Act, 1981, the Environment (Protection) Act, 1986, Hazardous and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016 and the Public Liability Insurance Act, 1991 along with their amendments and Rules and any other orders passed by the Hon'ble Supreme Court of India / High Courts and any other Court of Law relating to the subject matter.
- xvi. Any appeal against this EC shall lie with the National Green Tribunal, if preferred, within a period of 30 days as prescribed under Section 16 of the National Green Tribunal Act, 2010.